म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रं0/मं0बो0/भा0भु0यो0/2018/02/4879 भोपाल, दिनांक 12/12/2019

प्रति

कलेक्टर्स
जिला– .... (समस्त)

विषय :– फ्लैट भावांतर भुगतान योजना एवं जय किसान समृद्धि योजना अंतर्गत कृषकों को नगद भुगतान पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान का लाभ देने के संबंध में।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र क्रमांक/बी–16–3/2019/14–2 दिनांक 07 मार्च 2019 से रबी 2019 में गेहूं के लिए जय किसान समृद्धि योजना तथा दिनांक 04 अक्टूबर 2018 से जारी खरीफ 2018 फ्लैट भावांतर भुगतान योजना में यह प्रावधानित था कि "प्रोत्साहन राशि के लिये भुगतान प्राप्त करने के लिये अनिवार्य होगा कि पंजीकृत किसानों द्वारा विक्रय की गयी मात्रा की 50 प्रतिशत राशि या रूपये 10,000/– (दोनो में से जो भी कम हो) का क्रयकर्ता लायसेंसी व्यापारी द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी से आवश्यक रूप से भुगतान किया गया हो।"

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग स्तर पर इस सबंध में निर्णय लिया गया है कि योजना के क्रियान्वयन के उपरांत योजना की प्रश्नागत शर्तं में परिवर्तन का औचित्य नही है।

अतः उपरोक्त आधार पर प्रश्नागत विषय के प्रकरणों का जिला स्तर पर ही निराकरण करने का कष्ट करें।

12/12/19
(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रं0/मं0बो0/भा0भु0यो0/2018/02/4880 भोपाल, दिनांक 12/12/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विंध्याचल भवन, भोपाल।
3. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय –(समस्त)
4. भारसाधक अधिकारी/नोडल सचिव/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति –जिला समस्त ।

12/12/19
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned by CamScanner